(ग) विवाचक ने निम्नलिखित राशियों के लिए अधि-निर्णय दिया है :—

(1) 31-12-1982 को समाप्त होने वाली अवधि तक बकाया किराये की भुगतान न की गयी शेष राशि 19,34,802.48 रुपये

(2) 31-12-1982 तक देय बकाया राशि पर ब्याज 14,66,802.80 रुपये

34,01,605.28 रुपये

(3) 31.12.82 को देय कुल बकाया राशि पर न्यायालय का नियम बनाने के लिए न्यायालय में पंचाट दायर किये जाने के समय तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज और तत्पश्चात् उस माननीय न्यायालय द्वारा, जहां पंचाट दायर किया गया है, जो निर्धारित की जाये उसके अनुसार विवाचक का अधिनिर्णय न्यायालय में दायर करने के लिए रेलवे ने 9.11.84 को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दिया था। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

(घ) रेलवे ने सम्पदा अधिकारी के कार्यालय में सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत पार्टी के विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई शुरू कर दी है। कानूनी कार्रवाई प्रगति पर है। रेलवे को देय राशि वसूल करने तथा रेलवे की भूमि से पार्टी को बेदखल करने की कार्रवाई संबंधित न्यायालयों में चल रही है।

दिल्ली में रेलवे की भूमि पर अवैध कब्जा

1254. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में रेलवे की बहुत सारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी जमीन किन-किन लोगों के कब्जे में है; और

(ग) अनधिकृत कब्जे को खाली कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) : (क) और (ख) दिल्ली में रेलवे की लगभग 11 हेक्टेयर भूमि अनधिकृत कब्जे में है। अतिक्रमणों की संख्या 7328 है।

(ग) नये अतिक्रमण रेल प्रशासन द्वारा विभागीय तौर पर हटा दिये जाते हैं, जबकि पुराने अतिक्रमणों को हटाने के लिए सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। झुग्गी/झोंपड़ियां दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली प्रशासन की सहायता से हटायी जाती है।

Panel on the problems faced by transporters

1255. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have set up a panel on the problems being faced by transporters in Delhi;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) by when the report is likely to be submitted by the panel; and

(d) what are the details of the problems being faced by the transporters?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (d) Delhi Administration have intimated that with regard to the problems being faced by transporters in Delhi, periodical inter-Departmental reviews are undertaken on the measures to solve their problems. Director of Transport, Delhi Administration, coordinates inter-Departmental actions. Recently, Chief Executive Councillor had also taken a Special Meeting to discuss the problems of transporters.

The Transport Operators have recently brought to the notice of Delhi Administration their specific problems and represented for suitable—

(a) changes in the present system of innumerable checks by Delhi Traffic Police causing avoidable loss of time and harassment to the Operators;

(b) change in the system of the powers exercised by Delhi Police under Section 127-B of the Motor Vehicles Act, 1939, to compound offences and reduction of exhorbitant rates;

(c) permitting of medium Moto: Vehicles on busy roads;

(d) fixing of capacity of the vehicle according to pay load;

(e) fixation of yard sticks for determining the validity period for fitness of vehicles;

(f) reconsideration of prohibiting the pressure horns;

(g) strict action against users of multiple head-lights;

(h) quick development of land in Transport Nagars;

(i) priority for developing other Complexes of Transport Nagars;

(j) immediate abolition of Terminal Tax.

Cadre review for para-medical staff

1256. SHRI SATYA PAL MALIK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether any cadre review committee for para-medical personnel exists in her Ministry;

(b) whether this committee has made any recommendations in the matter to the Forth Central Pay Commission; and

(c) if so, what are the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Connecting of Kanpur-Delhi direct flight with Kanpur Calcutta flight

1257. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of TRANSPORT be pleased to state:

(a) what efforts have been made to connect the existing flight from Kanpur to Delhi and Vice-versa to and from Calcutta to establish the erstwhile link of IC-411 and 412;

(b) whether it is a fact that various organisations of trade and commerce in Kanpur have been demanding the establishment of a Kanpur-Calcutta flight with Boeing service with immediate effect; and

(c) if so, the action being contemplated to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Due to inadequate passenger demand on Kanpur-Calcutta and Kanpur-Gorakhpur sectors, extension of Delhi-Kanpur-Patna Boeing service upto Calcutta, is not contemplated.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

बाल्मीकि आश्रम तथा प्रतिभा हेतु रेलवे भूमि का आबंटन

1258. श्री अच्छे लाल बाल्मीक : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ, लखनऊ ने महर्षि बाल्मीकि की प्रतिमा की स्थापना करने और उनके नाम से एक आश्रम खोलने के लिए रैदास मन्दिर, लखनऊ के सामने खाली पड़ी रेलवे की भूमि के आबंटन हेतु 4 अगस्त, 1980 को अभ्यावेदन दिया था; और

(ख) उक्त भूमि को संघ को अब तक आबंटित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिन्धिया) (क) जी हां ।

(ख) इस भूमि की रेलवे को अपने ही भावी निर्माण-कार्यों के लिए जरूरत है, इसलिए यह पक्के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ को आबंटित नहीं की जा सकती है ।